भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2276
20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: घटता कृषि भूमि क्षेत्रफल

2276. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान घटती कृषि योग्य भूमि के राज्य-वार क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा देश में कृषि भूमि के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) वर्ष 2018-19 के लिए भू-उपयोग सांख्यिकी की रिपोर्ट (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, देश में2013-14 से कृषि भूमि/कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा **अनुबंध-I**में दिया गया है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए कृषि भूमि/कृषि योग्य भूमि का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II**में दिया गया है।

भारत के संविधान की सांतवी अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। अत: राज्य सरकारों को कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि उपयोग हेतु परिवर्तन को रोकने के लिए उचित उपाय करने होते हैं। हालांकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों तथा बजटीय प्रावधान से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राष्ट्रीय किसान नीति-2007 (एनपीएफ-2007) के अंतर्गत राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों सहित गैर-कृषि विकासपरक गतिविधियों के लिए कम जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे अकृष्य भूमि, क्षारियता, अम्लीयता इत्यादि से प्रभावित भूमियों को चिंहित करे। राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 (एनआरआरपी-2007) में भी सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो परियोजनाओं की स्थापना बंजर भूमि, अवनत भूमि अथवा असिंचित भूमि पर की जाए। सिंचित, बहु-फसलीय कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग हेतु अधिग्रहण, जहां तक संभव हो न्यूनतम रखा जाए और जहां तक संभव हो टाला जाए।

इसके अलावा, सरकार ने कृषि भूमि के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, एकीकृत बागवानी विकास

मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि में सतत सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कार्यान्वयन शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने कृषि भूमि के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमे शामिल है:

i) पर ड्रॉप मोर क्रॉप- यह योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। पीडीएमसी के तहत 70.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ii) वाटरशेड विकास घटक: भू-संसाधन विभाग (डीओएलआर) का वाटरशेड प्रबंधन प्रभाग देश में वर्षा सिंचित/परती भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक नामक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 6.56 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, लगभग 14.54 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया गया हैऔर 2015-16 से 2021-22 तक लगभग 31.94 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है।

iii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी): जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। एआईबीपी के तहत 2016-17 के दौरान,देश में जारी निन्यानवे (99) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (7 चरण) को राज्यों के परामर्श से चरणबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने हेतु प्राथमिकता पर रखा गया है जिसकी अनुमानित लागत 77,595 करोड़ रुपये(केंद्रीय सहायता-31342.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा-46253 करोड़ रुपये)है। इन परियोजनाओं में से एआईबीपी कार्यों की 50 प्राथमिकता आधारित परियोजनाओं के पूर्ण होने के संबंध में सूचित किया गया है।

iv) राष्ट्रीयसतत कृषि मिशन (एनएमएसए): एनएमएसएजलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत एक मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने और उत्पादन में सतत वृद्धि बनाए रखने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है।

v) मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी): देश में किसानों को समय-समय पर मिट्टी परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग की सिफारिशें प्रदान करने के लिए सरकार 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की पोषक स्थिति के साथ-साथ मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अकार्बनिक और जैविक उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग के बारे में नुस्खे प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयनके दौरान मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए अब तक 1335.68 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। योजनान्तर्गत अब तक 22.71 करोड़ ग्रिड आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं।

vi) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): आरकेवीवाई योजना 2007 में राज्यों को जिला/राज्य कृषि योजना के अनुसार अपनी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुनने की अनुमति देकर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना को 2017-18 से कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) के रूप में नया रूप दिया गया है।

अनुबंध ।

दिनांक 20.12.2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2276 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2013-14 से 2018-19(नवीनतम उपलब्ध) तक देश में कृषि भूमि/कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	**कृषि भूमि**
2013-14	1,81,849
2014-15	1,81,829
2015-16	1,81,603
2016-17	1,81,133
2017-18	1,81,064
2018-19	1,80,888

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अनुबंध ।।

दिनांक 20.12.2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2276 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

2016-17 से2018-19 तकदेशमेंकृषिभूमिकाराज्य/संघराज्यक्षेत्र-वारविवरण (नवीनतमउपलब्ध)

(हजार हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
आंध्र प्रदेश	9003	8999	8997
अरुणाचल प्रदेश	423	424	424
असम	3337	3302	3305
बिहार	6572	6573	6573
छत्तीसगढ	5558	5562	5570
गोवा	197	197	197
गुजरात	12661	12661	12661
हरियाणा	3744	3759	3817
हिमाचल प्रदेश	813	816	816
जम्मू और कश्मीर	1078	1081	1091
झारखंड	4367	4323	4319
कर्नाटक	12784	12777	12830
केरल	2247	2246	2235
मध्य प्रदेश	17231	17207	17121
महाराष्ट्र	20748	20751	20719
मणिपुर	476	453	448
मेघालय	1015	1013	1011
मिजोरम	367	367	367
नागालैंड	694	694	678
ओडिशा	6690	6745	6675
पंजाब	4237	4235	4233
राजस्थान	25496	25493	25484
सिक्किम	97	97	97
तमिलनाडु	8110	8110	8109
तेलंगाना	6752	6770	6767
त्रिपुरा	271	271	270
उत्तराखंड	1546	1550	1548
उत्तर प्रदेश	18848	18826	18775
पश्चिम बंगाल	5633	5625	5615
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28	28	28
चंडीगढ़	1	1	1
दादरा एवं नगर हवेली	24	24	20
दमन और दीव	3	3	3
दिल्ली	53	53	53
लक्षद्वीप	2	2	3
पुदुचेरी	29	29	28
अखिल भारतीय	1,81,133	1,81,064	1,80,888

स्रोत:अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

****